न्यायालय तहसीलदार अजमेर

प्रकरण संख्या 7 / 2020 — अंतर्गत धारा 91 राज० भू०राजस्व अधिनियम 1956

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूडोल बनाम श्री देवी सिह रावत पुत्र मंगला रावत, जाती रावत निवासी भूडोल

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भूडोल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3560 रकबा 1.93 हेक्टयेर चरागाह भूमि है जिसमें से 0.50 हैक्टयर पर तार बंदी कर कब्जा कर लिया गया है ।

वर्तमान में ग्राम भूडोल की आराजी खसरा नम्बर 3560 रकबा 1.93 हेक्ट. मुताबिक रेकार्ड चरागाह भूमि दर्ज है | रिपोर्ट पटवारी के अनुसार अतिक्रमी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 91 राज० भू०राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अतिक्रमी को नोटिस जारी किया गया । गेरसायल व् गेरसायल अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर जवाब हेतु समय चाहा गया उन्हें समय दिया गया अभिभाषक द्वारा जवाब पेश किया गया जो की अशंतोषजनक पाया गया |

पत्रावली का अवलोकन किया मुताबिक रिकार्ड व जमाबंदी सम्वत् 2076 के अनुसार रिपोर्ट पटवारी हल्का भूडोल अनुसार ग्राम भूडोल के खसरा नम्बर खसरा न. 3560 रकबा 1.93 हैक्ट. चरागाह भूमि है जिसमे से 0.50 हेक्ट. पर अतिक्रमी श्री श्री देवी सिह रावत पुत्र मंगला रावत निवासी ग्राम भूडोल द्वारा खसरा नं 3560 के 0.50 हैक्ट. में तार बंदी कर अनाधिकृत कब्जा किया जाना साबित होता है ।

अत: उक्त अतिक्रिमित भूमि ग्राम भूडोल के खसरा नं 3560 से अतिक्रमी को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जाता है ,साथ ही अतिक्रिमित भूमि की लगान...2/- रु का पचास गुना ....100/-........रु की शास्ती आरोपित से दण्डित किया जाता है ।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व भु० अभि० निरीक्षक / पटवारी हल्का को शास्ती राशी की वसूली व अतिक्रमी को मौके से बेदखली हेतु लिखा जावे ।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2020 को खुले न्यायलय में सुनाया गया |

तहसीलदार, अजमेर

इस पत्रावली की मांग की राशि 100/-........
रा.ले.सं.–4 वर्ष 2019–20.20 के पृष्ठ सं........
पर इन्द्राज की गई ।

तहसील राजस्व लेखाकार
अजमेर